प्ररूप च FORM F (विनियम 20 देखें) (see regulation 20)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) REGULATIONS, 1996

003457 सहभागी के रूप में रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION AS PARTICIPANT

- I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाये गये विनियमों और निक्षेपागार अधिनियम,1996 (1996 का 22) के साथ पटित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
- I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the regulations made thereunder and with the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby grants a certificate of registration to

REGISTRATION

MIRAE ASSET CAPITAL MARKETS (INDIA) PRIVATE LIMITED 506, 5TH FLOOR, WINDSOR BUILDING, OFF CST ROAD, KALINA, SANTACRUZ (EAST), MUMBAI - 400098

को अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम और उनके अधीन बनाये गये बिनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन सहभागी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्दारा प्रदान करता है।

as a participant subject to the conditions specified in the Act, the Depositories Act and the regulations made thereunder.

II. सहभागी की रजिस्ट्रीकरण संख्या है :

II. Registration Number for participant is

IN-DP-589-2021

III. जब तक नवीकृत न किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

REGISTRATION तक विधिमान्य है।

III. Unless renewed, the Certificate of Registration is valid from

24/05/2021

This Certificate of registration shall be valid for permanent, unless suspended or cancelled by the Board

आदेश द्वारा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

के लिए और उसकी ओर से By order For and on behalf of

Securities and Exchange Board of India

DEEPAK TRIVED!

प्राधिकृत हस्ताक्षरकता Authorised Signatory

स्थान Place: मुंबई/Mumbai

दिनाँक Date: May 24, 2021